WEEKEND Business Standard NEW DELHI | 29 JULY 2017

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037
Registered Office: Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066
Phone: 011 66771225/26; **Fax:** 011 26791033
Website: www.asianhotelsnorth.com; **E-mail:** investorrelations@ahlnorth.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund and similar matters

The shareholders may take note that:

1. In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time (the said Rules), all such shares in respect of which dividend has been unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), whereupon the Investor Education and Protection Fund Authority shall maintain such shares in a separate IEPF Suspense Account in the name of the Company.
2. In pursuance of the aforesaid provisions, the Company had served individual notices dated 16th January, 2017, to the concerned shareholders whose shares were liable to be transferred as dividend on their holding was unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more, taking the financial year 2008-09 as the base year. Further, in pursuance thereof, the Company had issued NOTICE TO SHAREHOLDERS dated 19th January, 2017, followed by another notice dated 27th March, 2017, which were published respectively on the following days thereof in the same newspaper, advising the concerned shareholders to claim the unpaid/unclaimed dividend to avoid transfer of their shares to IEPF. While the unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2008-09 has since been deposited with the IEPF, the concerned shareholders, who have failed to claim the unpaid/unclaimed dividend so far, have been advised again, vide individual notices dated 25th July, 2017, to claim the unpaid/unclaimed dividend for the remaining years forthwith so that the same can be released before the due date to be notified by Ministry of Corporate Affairs (MCA) in lieu of earlier due date of 31st May, 2017, failing which these shares shall be liable to be transferred to IEPF.
3. Unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2009-10 shall become liable to be transferred to the IEPF on 28th October, 2017. Accordingly, the Company has indentified the shares which may also become liable to be transferred to IEPF if dividend in respect thereof is not claimed. In view of the above, the Company has served individual notices dated 25th July, 2017, to the concerned shareholders and have advised them to claim their unpaid/unclaimed dividend by 15th October, 2017, enabling the Company to release the same before 28th October, 2017, failing which the shares shall become liable to be transferred to IEPF on 28th October, 2017 or such due date as may be notified by MCA, whichever is later.
4. The sale proceeds of fractional shares, which had arisen in the course of implementation of the Scheme of Arrangement and De-merger approved by the Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 13th January, 2010, and remain unpaid/unclaimed for seven consecutive years, shall become liable to be transferred to the IEPF on 28th October, 2017, in pursuance of Section 125(2) of the Act read with the said Rules. The Company, vide individual notices dated 21st July, 2017, has advised the concerned shareholders/persons to claim the aforesaid unpaid/unclaimed amount immediately but not later than 15th October, 2017, so that the same could be released before 28th October, 2017, failing which the Company shall transfer the said amount to the IEPF, as mandated.
5. The Company has uploaded the relevant details of shares, as described under para (2) and (3) above, which are liable to be transferred to the IEPF, if unpaid/unclaimed dividend amounts relating thereto are not claimed as aforesaid, along with corresponding details of such shareholders, on the Company's website and may be accessed at www.asianhotelsnorth.com in the 'Share Information' section under the head 'Unclaimed Shares'. Further, the relevant details of unpaid/unclaimed sale proceeds of fractional shares, as described under para (4) above, which are liable to be transferred to the IEPF, if such amounts are not claimed as aforesaid, along with corresponding details of such shareholders/persons, has been uploaded on the Company's website and may be accessed at www.asianhotelsnorth.com in the 'Share Information' section under the head 'Unpaid/Unclaimed Dividend'.
6. Once transferred to the IEPF, the unclaimed shares, unpaid/unclaimed dividend amounts and unpaid/unclaimed sale proceeds of fractional shares may be re-claimed by the concerned shareholders/persons in accordance with the procedure laid down in the said Rules.

For ease of reference, various due dates are summarized below:

Subject matter	Due date for transfer to IEPF
Unclaimed shares ascertained based on unpaid/unclaimed dividend for FY 2008-09	Such date as may be notified by the MCA
Unpaid/unclaimed dividend for FY 2009-10	28th October, 2017
Unclaimed shares ascertained based on unpaid/unclaimed dividend for FY 2009-10	28th October, 2017 or such date as may be notified by the MCA, whichever is later
Unpaid/unclaimed sale proceeds of fractional shares	28th October, 2017

All requests or queries on the subject may be addressed to either of the following:

i. **Secretarial Department, Asian Hotels (North) Limited,** Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi–110066; Phone: 011 66771225/26; Fax: 011 26791033; E-mail: investorrelations@ahlnorth.com

ii. **Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Asian Hotels (North) Limited;** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad–500032; Phone: 91 40 67162222; Fax: 91 40 23001153; Website: www.karvycomputershare.com; E-mail: einward.ris@karvy.com

This may be considered as Notice required to be published under Rule 6(3) of the said Rules.

for Asian Hotels (North) Limited
Sd/-
Dinesh Kumar Jain
Vice President (Corporate) & Company Secretary
Membership No.: FCS 6224

Place: New Delhi
Date : 28th July, 2017

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालय: भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110066
फोन: 011 66771225/26; फैक्स: 011 26791033
वेबसाईट: www.asianhotelsnorth.com; ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com

अंशधारकों को सूचना

कंपनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण एवं समान विषय

अंशधारक ध्यान दें कि:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदंय) नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशाधित (कथित नियम), वैसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या अधिक वर्षों से लामांश अदत्त/गैर–दावाकृत है, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण हतु वांछित है, जिसके पश्चात् विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ऐसे अंशों को कंपनी के नाम पर एक पृथक आईईपीएफ संदिग्ध खाते में रखेगा।
2. उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बद्ध अंशधारकों को 16 जनवरी 2017 दिनांकित व्यक्तिगत सूचना जारी की थी जिनके अंश हस्तांतरण हेतु बाध्य हैं चूंकि उनके स्वामित्व पर, वित्त वर्ष 2008–09 आधार वर्ष के अनुसार, सात या अधिक वर्षों से लामांश अदत्त/गैर–दावाकृत थे। इसके अतिरिक्त, इस अनुपालन में, कंपनी ने सम्बद्ध अंशधारको को अपने अंशों को आईईपीएफ को हस्तांतरित होने से बचने हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए सलाह देते हुए 19 जनवरी 2017 सूचना जारी की थी और इसके पश्चात् एक अन्य सूचना 27 मार्च 2017 को जारी की थी जो कि इसी अखबार में क्रमशः अगले दिन में प्रकाशित किए गए थे। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश आईईपीएफ के साथ जमा करा दिए गए हैं, तथापि ऐसे सम्बद्ध अंशधारक, जो अब तक अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश का दावा करने में विफल रहे हैं, को पुनः 25 जुलाई 2017 के व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से सलाह दी गई है कि शेष वर्षों के अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश का दावा तत्काल कर लें ताकि उन्हें कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 31 मई 2017 की पूर्व निर्धारित तिथि के बदले में अधिसूचित होने वाली नियत तारीख से पूर्व जारी किया जा सके, अन्यथा विफल होने पर ये अंश आईईपीएफ को हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य होंगे।
3. वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश 28 अक्टूबर 2017 को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य होंगे। तदनुसार, कंपनी ने ऐसे अंशों का भी निर्धारित कर लिया है जिनके लाभांश का दावा न करने पर वे आईईपीएफ को हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य होंगे। उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी ने संबंधित अंशधारकों को 25 जुलाई 2017 के व्यक्तिगत सूचनाएं दी हैं और उन्हें 15 अक्तूबर 2017 तक उनके अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश का दावा करने की सलाह दी है, ताकि कंपनी को 28 अक्तूबर 2017 से पहले उन्हें जारी करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसमें विफल होने पर ये अंश, 28 अक्तूबर 2017 या ऐसी नियत तारीख जिसे एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो, आईईपीएफ को हस्तातंरित करने के लिए योग्य होंगे।
4. आंशिक अंशों की बिक्री राशि, जो माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा 13 जनवरी 2010 के आदेशानुसार अनुमोदित डी–मर्जर व व्यवस्था की योजना को कियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी, और लगातार सात वर्षों तक अदत्त/गैर–दावाकृत रहीं, अधिनियम की धारा 125 (2) के साथ पठित कथित नियमों के अनुपालन में, 28 अक्टूबर 2017 को आईईपीएफ को हस्तांतरित करने हेतु बाध्य होंगे। कंपनी ने 21 जुलाई 2017 दिनांकित व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से संबंधित अंशधारकों/व्यक्तियों को उपरोक्त अदत्त/गैर–दावाकृत राशि का शीघ्र किन्तु 15 अक्टूबर 2017 के पूर्व, दावा करने की सलाह दी है ताकि इन्हें 28 अक्तूबर 2017 से पूर्व जारी किया जा सके, जिसके असफल होने पर कंपनी कथित राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित कर देगी, जैसा कि अनिवार्य है।
5. कंपनी ने ऊपर पैरा (2) और (3) में वर्णित अंशों के प्रासंगिक विवरण, जो कि संबंधित अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश राशि का उपरोक्त तौर पर दावा नहीं किया जाने पर आईईपीएफ को हस्तांतरित करने हेतु संभाव्य होंगे, अंशधारकों के संबंधित विवरण सहित, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, और इन्हें www.asianhotelsnorth.com पर 'Share Information' अनुभाग में 'Unclaimed Shares' के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आंशिक अंशों की अदत्त/गैर–दावाकृत बिक्री राशि का प्रासंगिक विवरण, जैसा कि ऊपर पैरा (4) के अंतर्गत वर्णित है, जो, यदि इस तरह की राशि का उपरोक्त तौर पर दावा नहीं किया जाता है तो आईईपीएफ को हस्तांतरित करने के लिए संभाव्य हैं, संबंधित अंशधारकों/व्यक्तियों के सम्बंधित विवरण सहित कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, और इन्हें www.asianhotelsnorth.com पर 'Share Information' अनुभाग में 'Unpaid/ Unclaimed Dividend' के अंतर्गत देखा जा सकता है।
6. एक बार आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात, गैर–दावाकृत अंशों, अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश राशि और आंशिक अंशों की अदत्त/गैर–दावाकृत बिक्री राशि का दावा, कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित अंशधारकों/व्यक्तियों द्वारा पुनः किया जा सकता है।

इस संदर्भ में आसानी हेतु, विभिन्न निर्धारित तिथि का सारांश निम्नलिखित है:

विषय वस्तु	आईईपीएफ के लिए हस्तांतरण की निर्धारित तिथि
वित्त वर्ष 2008–09 हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश के आधार पर निश्चित गैर–दावाकृत अंश	ऐसी तिथि जिसे एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है
वित्त वर्ष 2009–10 हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश	28 अक्टूबर 2017
वित्त वर्ष 2009–10 हेतु अदत्त/गैर–दावाकृत लाभांश के आधार पर निश्चित गैर–दावाकृत अंश	28 अक्टूबर 2017 या ऐसी तिथि जिसे एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो
आंशिक अंशों की अदत्त/गैर–दावाकृत बिक्री राशि	28 अक्टूबर 2017

इस विषय पर सभी अनुरोध या प्रश्नों का निम्नलिखित में से किसी एक को संबोधित किया जा सकता है:

i. सेक्रेटेरिअल विभाग, एशियन होटल्स (नार्थ) लिमिटेड, भिकाजी कामा प्लेस, एम जी मार्ग, नई दिल्ली –110066; फोन: 011 66771225/26; फैक्स: 011 26791033; ई–मेल: investorrelations@ahlnorth.com

ii. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: एशियन होटल्स (नार्थ) लिमिटेड; कार्वी सेलनियम टॉवर बी, प्लॉट नं: 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032; फोन: 91 40 67162222; फैक्स: 91 40 23001153; वेबसाइट: www.karvycomputershare.com; ई–मेल: einward.ris@karvy.com

इसे कथित नियम के नियम 6 (3) के अंतर्गत प्रकाशित सूचना के तौर पर विचार किया जाए।

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
दिनेश कुमार जैन
वाईस प्रेसिडेन्ट (कॉर्पोरेट) एवं कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS 6224

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2017